भारतीय नर्सिंग परिषद्

संयुक्त परिषद् भवन, कोटला रोड, टेम्पल लेन, नई दिल्ली - 110002



INDIAN NURSING COUNCIL

COMBINED COUNCIL BUILDING, KOTLA ROAD, TEMPLE LANE, NEW DELHI – 110002

नर्सिंग शिक्षा के समान स्तर को प्राप्त करने का प्रयास Striving to achieve uniform standards of Nursing Education

F.No.22-10(Web)-INC (Part)

Dated 1 1 JUL 2014

To

All Colleges of Nursing affiliated to INC All Universities & State Nursing Councils

Sub.: Online undertaking and NAAC accreditation of the Institutions - regarding.

Sir/Madam,

I invite your attention to UGC Letter No.F.1-15/2014 (ARC) dated 11th June, 2014 on the subject noted above.

It is stated that since the academic session 2014-15 is commencing shortly, you are requested to make use of the ONLINE undertaking as Annexure-I and Annexure-II and get your Institutions NAAC accredited. Copy of the 2nd amendment has been published in the Gazette of India on 29.03.2014 regarding ONLINE undertaking. Please download the above published gazette with Annexure-I & Annexure-II from our INC Wesbite: www.indiannursingcouncil@org. and also in UGC Website.

However, institutions are requested to step up anti-ragging mechanism by way of adequate publicity through various mediums, action-packed anti-ragging committee and anti-ragging squad, quick-response system, CCTV cameras at vital points, alarm bells, regular interaction and counseling, identification of trouble-triggers, prominence to anti-ragging in the institution's prospectus and information booklets/brochures surprise inspection of hostels, students accommodation. Canteens, rest cum recreational rooms, toilets, bus-stand and any other measure which would augur well in preventing/quelling ragging and any uncalled for behaviour/incident. The students and the parent/guardian community may also be made aware of the anti-ragging helpline, anti-ragging website, anti-ragging monitoring agency and all Universities/Colleges/Institutions should take necessary steps for its implementation. Students in distress owing to ragging related incidents can access the National Anti-Ragging Helpline 1800-180-5522 (24x7 Toll Free).

It is also requested to take all possible steps/measures in your institution so as to ensure that no ragging of any type take place in your institution. Any incidence of ragging and meaures taken in the matter may be reported to the State Nursing Council as well as Indian Nursing Council.

Yours faithfully,

SECRETARY

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail secy2010@indiannursingcouncil.org Phone: 011-23235619, 23235570, 23233762, 23233763, 23233764 Fax: 011-23236140



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

tf, 101] No. 101] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHATTRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15-8/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट-III.-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1958) (3-1956) की धारा (ग) के उप-अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 26 में प्रवत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम सुजन करता है, नामत :--

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे"।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों—I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2089 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सिमालित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:—
 "सत्यिनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)....... (वर्ष) को मेरी उपरिथति में

शपथ आयुक्त"

उपमन्य बस् सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:-- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2000 में प्रकाशित किया गया था।

हस्ताक्षरित किया गया।

अनुलंगनक-1

MIN	कर	आश्वासन
וכוס	परा	अर्रपा भाग

 मैं	म (संस्था त्रण संबंधी यूजीसी विनियम	ान का नाम) प्रवेश दिया मों की प्रति प्राप्त की है	। गया है, उसने उच्च शैक्षिक ं जो इसके आगे से विनियंत्र
 मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा : सम्मिलिति हैं। 	को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथ	ा मुझे इस बात का संझान	न है कि रैगिंग में कौन सी बातें
 मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 को भी वि तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित व 	जा सकती है यदि मैं रैगिंग	को बढ़ावां देने के लिए द	ोषी पाया जाता है अथवा रेगिंग
4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ क्य से प्रमाणित करत	ा/करती हूँ एवं आरवासन	देता/देती हूँ कि	ró Erred sa'nnágan ág
(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में रूप में माना जा सकता है।	संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँ	गी जिसे इन विनियमों क	ने घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के
(ख) मैं ऐसे किसी आघरण अथवा अनाचरण में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनि	के काम में न तो भाग लूँग थमों की घारा 3 के अंतर्गत	गा∕लूँगी न ही उसके पड् रैगिंग के रूप में माना गय	यन्त्र में अथवा उसके प्रीत्साहन । है।
 मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता / करती हूँ कि पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्ड किसी घालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी व 	अत्मक कार्रवाई के लिए उत्त	।एदायी हैं जो कि अ न्य दि	ारा 9.1 के अनुसार इन्से बिना केसी आपराधिक मामले के प्रति
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के माम है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ	ले में बोषी पाने के लिए न हूँ कि यदि की गई यह घो	ा तो निष्कासित किया है	ना ही प्रवेश से बाधित किया
घोषित किया गया दिन दिन	ME mantanaman	. यर्ष	, , ,
			शपथकर्ता के हस्ताक्षर
, ,			नाम
			. ,
	सत्यापन		
सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मे इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई अं	रे संज्ञान सर्वांगीण रूप से रि ना ही अयर्थाथ कही गई	सत्य है तथा इसका कोई है।	भी अंश असत्य नहीं है तथा
सत्यापित (स्थान) दिन दिन	मार्ड	वर्षः	
,			
		,	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
	•	•	

अनुलग्नक-Ⅱ

	माता-पिता/अमिमावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता
1	. श्री/श्रीमती/सुश्री (माता-पिता/अभिमावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिमावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाम) श्रे प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जों आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2.	. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस ग्रात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3.	. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष फार से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अध्वा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अध्वा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अध्वा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का यह भागीदार होगा/होगी, यह मेरे संज्ञान में है।
4.	में एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि
	(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।
	(ख) मेरी संतान जान मुझकर अथवा मूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5.	एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोधी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की घारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा—तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अधवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
•	एतदहारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा उद्युक्त का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
घोरि	षेत किया गया दिन माह वर्ष
	The state of the s
	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
	नामः
	पताः
	दूरमाष सं./मों. नं:
	सत्यापन
aan	गिपत किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वोगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा
ः इसमे	में कथित कोर्ड भी जात ना तो फिरार्ट गर्ट है और ना ही अग्रार्थित कोर्ड भी जात ना तो फिरार्ट गर्ह है तथा
सम् इसमे	में कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयुर्थाध कही गई है।
5 23.41	न काबत कोई मा बात ना ता छिपाई गई है आर ना हा अयुधाय कही गई है।
5 23.41	ापित (स्थान) दिन माह
5 23.41	न काबत कोई भी बात नी तो छिपाई गई है और नी ही अयुधाय कही गई है।
5 23.41	ापित (स्थान)दिन

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th December, 2013

- No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:
 - (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this affidavit, (year) after reading the contents of this affidavit,

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

- I. <u>(full name of student with admission/registration/enrolment number)</u> s/o d/o Mr./Mrs/Ms. , having been admitted to (name of the institution) , have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.
- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not include in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishme Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken any law for the time being in force.	
(6)	I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission is account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to prothat, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission	omote, ragging; and further affirm
Deck	ared thisday of month of year.	
		· ·
		Signature of deponent
	KAMINATOY OF A POLOCAL	Name:
Verif	VERIFICATION ied that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and n	nart of the undertaking is false
	othing has been concealed or misstated therein.	a later as sero accordance in this
		,
Verifi	ed at (place) on this the (day) of (month). (year)	
		Signature of deponent Name:
		ANNEXURE-II
•	UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN	•
father admit Raggi	Ar/Mrs/Ms. (full /mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolated to, (name of the Institution), have received a copy of the UGC Regular in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regula stood the provisions contained in the said Regulations."	lations on Curbing the Menace of
(2)	I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to wh	at constitutes ragging.
(3)	I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations an administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/s ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.	he is found guilty of or abetting
(4)	I hereby solemnly aver and undertake that	
	(a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted Regulations.(b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of conconstituted as ragging under clause 3 of the Regulations.	-
(5)	I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishm Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken law or any law for the time being in force.	

1431 Al14-2

_	
n	
w	

Declared this	day of	_ month of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_year.				
Verified that the cor	ntents of this und	ertaking are tr	VERIFICAT		ige and no pai	Name: Address Telepho	one/Mobile l	Vo.:
Verified at (Place)				. .				
		•					***	Name of the last o
	• •			•	٠.	•	gnature of de ame:	ponent
			•	,		•		
			•	•				
. 2 · * · · · · · · · · · · · · · · · · ·								and the state of t
							• •	

